26/12/22 पत्रावली पेश हुई। अभयपकरान उप०। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता दोष मोहम्मद ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। साथ ही आदेश 7 नियम 11 CPC का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पैरोकार सरकार के जवाब हेतु दिनांक 12/01/23 को पेश हो।

12/01/23 पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार एवं विपक्षीगण के अधिवक्ता उप०। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जवाब एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/01/23 को पेश हो।

18/01/23 पत्रावली पेश हुई। अभयपकरान उप०। पैरोकार सरकार जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 23/01/23 को पेश हो।

23/01/23 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 15/02/23 को पेश हो।

15/02/23 पत्रावली पेश हुई। अभयपकरान उप०। अभयपकरानो की बहस सुनी गई। प्रार्थी (पैरोकार सरकार) की तरफ से बताया गया कि बिना परमिशन के भूमि पर निर्माण किया जा रहा है जो कि नियमो के विरुद्ध है। विपक्षीगण अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC पर बहस कर निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 175-177 के तहत गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज निरस्त करने योग्य है। स्पष्ट है कि राज. काश्त. अधिनियम 1955 में बना है। विपक्षीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- |
| का कोई अवैध निर्माण नही किया गया है तथा न ही किसी प्रकार की दुकानो का निर्माण करके व्यवसायिक गतिविधिया की जा रही है। विपक्षीगण के द्वारा अपने पशुओ के लिए बाड़ा एवं घर का निर्माण किया जा रहा है। विपक्षीगण ने भी कृषि सहकार्य के लिये अपना घर एवं पशुबाड़े इत्यादि बनाये जो अकृषि प्रयोजनार्थ की श्रेणी मे नही आता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175-177 के तहत सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण अथवा अवैध अन्तरण या उप पट्टे के सम्बन्ध मे है प्रार्थी द्वारा उक्त धाराओ की परिभाषाओ का गलत अर्थ निकालते हुए गलत तथ्यो के आधार पर उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है कि विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अतः विपक्षीगण वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि यदि विपक्षीगण द्वारा कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य हेतु बिना सक्षम आज्ञा के किया जाता है तो पुनः पेश किया जा सकता है एवं पत्रावली को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। | |